परिशिष्टों की टिप्पणियां

परिशिष्ट I की टिप्पणी:

1. जहाँ किसी प्रमुख समूह के अंतर्गत एक या अनेक उप समूहों के ब्योरे उपलब्ध नहीं है, वहाँ संबंधित राशि बिक्री-कर को छोड़कर 'अन्य-उपसमूह' के सामने दर्शाई गई है, बिक्री-कर से संबंधित राशि 'राज्य बिक्री-कर' नामक उप-समूह के सामने दर्शाई गई है।
2. 'केंद्र से अनुदान' के मामले में जहाँ 'राज्य योजना कार्यक्रम', केंद्रीय योजना कार्यक्रम', केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम' और 'गैर-योजना अनुदान' संबंधी ब्योरे उपलब्ध नहीं है, वहां संबंधित राशि 'केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम' के सामने दर्शाई गई है।
3. वर्ष 2006-07 (लेखा) के लिए जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के आँकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।
4. आंकड़े पूर्णांकन के अधीन हैं।

परिशिष्ट II की टिप्पणी:

1. जहाँ किसी प्रमुख समूह के किसी एक या कई उप-समूहों के ब्योरे उपलब्ध नहीं है, वहाँ संबंधित राशि 'अन्य''उप-समूह' के सामने दर्शाई गई है।
2. वर्ष 2006-07(लेखा) के लिए जम्मू और कश्मीर, झारखंड के आँकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।
3. योजनेतर व्यय को राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण में दिए गए अनुसार संबंधित लेखा-शीर्ष के लिए कुल व्यय से योजना व्यय को घटाकर निकाला जाता है। इसलिए कुछ राज्यों के लिए व्यय लेखा-शीर्ष के अंतर्गत योजनेतर व्यय के ऋणात्मक आंकड़े दिख सकते हैं।
4. सभी आंकड़े पूर्णांकन के अधीन हैं।

परिशिष्ट III की टिप्पणी:

1. 'लोक लेखा' सहित सभी आंकड़े सकल आधार पर हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिज़र्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम "आंतरिक ऋण" में शामिल किया है। जबकि भारिबै के पास "नकदी शेष निवेश खाता" और जमाराशियां क्रमशः 'आंतरिक ऋण और उचंत और विविध' में शामिल की गई है। निवल आधार पर कुल पूंजी प्राप्तियां लेने वाले पिछले वर्षों के तुलनात्मक आंकडों के साथ दिया है।
2. उपसमूह 'लघु बचत, भविष्य निधि, आदि', प्रारक्षित निधि', जमा और अग्रिम', 'उचंत और विविध' और 'विप्रेषण', 'लोक लेखा' से संबंधित है।
3. जहाँ किसी प्रमुख समूह के किसी एक या कई उप-समूह के ब्योरे उपलब्ध नहीं है, वहाँ संबंधित राशि 'अन्य' उपसमूह के सामने दर्शाई गई है।
4. 'केंद्र से अनुदान' के मामले में जहाँ 'राज्य योजना कार्यक्रम', केंद्रीय योजना कार्यक्रम', केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम', और 'गैर-योजना अनुदान' संबंधी ब्योरे उपलब्ध नहीं हैं, वहां संबंधित राशि 'राज्य योजना कार्यक्रम' के सामने दशाई गयी है। इसी तरह, जहाँ 'केंद्रीय योजना कार्यक्रम' और 'केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम' के ब्योरे उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ संबंधित राशि 'केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम' के सामने दर्शाई गयी है।
5. वर्ष 2006-07 (लेखा) के लिए जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के आँकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।
6. सभी आंकड़े पूर्णांकन के अधीन हैं।

परिशिष्ट IV की टिप्पणी:

1. 'लोक लेखा' तथा 'आकस्मिकता निधि' के अंतर्गत दिये गये आंकड़ों सहित सभी आंकड़े सकल आधार पर हैं। लोक लेखा को छोड़कर कुछ पूंजी व्यय को पिछले वर्षों के तुलनात्मक आंकड़ों के साथ दिया गया है।
2. जहाँ किसी प्रमुख समूह के किसी एक या अनेक उपसमूह से संबंधित ब्यौरे उपलब्ध नहीं है, वहाँ संबंधित राशि 'अन्य' उपसमूहों के सामने दर्शाई गयी है।
3. वर्ष 2006-07 (लेखा) के लिए जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के आंकड़े संशोधित अनुमान से संबंधित हैं।
4. योजनेतर व्यय को राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण में दिये गये अनुसार संबंधित लेखा शीर्ष के लिए कुल व्यय से योजना व्यय को घटाकर निकाला जाता है इसलिए कुछ राज्यों के लिए व्यय लेखा शीर्ष के अंतर्गत योजनेतर व्यय के ऋणात्मक आंकड़े दिख सकते हैं।
5. सभी आंकड़े पूर्णांकन के अधीन हैं।